कार्यालय चयन समिति, जनपद न्यायालय, गोरखपुर।

जनपद न्यायालय, गोरखपुर में संविदा के आधार पर अंशकालिक सफाईकर्मी के पद पर नियुक्ति हेतु सामान्य निर्देश

जनपद न्यायालय, गोरखपुर में संविदा के आधार पर अंशकालिक सफाईकर्मियों के कुल 03 अनारक्षित पदों पर चयन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। सफाईकर्मियों के उक्त पद विशुद्ध रूप से अस्थायी है तथा संविदात्मक आधार पर भरा जाना है। पद पर नियुक्त अभ्यर्थी को मात्र रु. 8,840/- मासिक नियत मानदेय दिया जायेगा, जिस पर कोई अतिरिक्त भत्ता आदि देय नहीं होगा। नियुक्त अभ्यर्थी की सेवा किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

1. सफाईकर्मी के उक्त पद पर नियुक्ति के लिए आवेदक को देवनागरी लिपि में हिन्दी के शब्दों में लिखने व पढ़ने का ज्ञान होना आवश्यक है। आवेदक को किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से जूनियर हाईस्कूल या उ.प्र. सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना तथा सफाई कार्य में दक्ष होना आवश्यक है।
2. आवेदक की आयु 01.07.2024 को 18 वर्ष से कम एवं 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जायेगी।
3. समस्त शैक्षिक योग्यता, जन्म तिथि एवं जाति प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतियाँ आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
4. इच्छुक व्यक्तियों द्वारा अपने निवास क्षेत्र के दो संभ्रान्त व्यक्तियों द्वारा जारी किया गया चरित्र प्रमाण-पत्र प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
5. चयन हेतु साक्षात्कार की प्रक्रिया अपनायी जायेगी। अभ्यर्थी दिनांक 28.11.2024 को अपने सम्पूर्ण मूल अभिलेखों एवं प्रार्थना-पत्र के साथ प्रातः 10:00 बजे केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय, गोरखपुर में उपस्थित होंगे।
6. किसी भी तरह की सिफारिश अयोग्यता मानी जायेगी, जिसके आधार पर आवेदक की उम्मीदवारी सरसरी तौर पर निरस्त कर दी जायेगी।
7. अभ्यर्थी का चरित्र नियुक्ति अधिकारी की संतुष्टि के अधीन उत्तम होना चाहिए। नियुक्ति के समय अभ्यर्थी द्वारा इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि उसे विधि द्वारा स्थापित न्यायालय द्वारा किसी नैतिक अधमता के अपराध हेतु दण्डित नहीं किया गया है।
8. नियुक्त अभ्यर्थियों को मुख्य चिकित्साधिकारी, गोरखपुर द्वारा जारी स्वास्थ्यता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर नियुक्ति की तिथि से एक सप्ताह के अंदर प्रस्तुत करना आवश्यक है।
9. साक्षात्कार हेतु उपस्थित व्यक्तियों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

दिनांक- 18.11.2024

18/11/24

(आदर्श श्रीवास्तव)
सदस्य चयन समिति/
सिविल जज सी.डि.,
गोरखपुर।

18.11.24

(प्रवीण कुमार सिंह-द्वितीय)
वरिष्ठ सदस्य चयन समिति/
विशेष न्यायाधीश (भ्र.नि.अधि.) कोर्ट सं.-01,
गोरखपुर।